

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 549 OF 2019

IN THE MATTER OF

MAHAKAR SINGH

Applicant

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH

Respondents.

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Submissions on behalf of Applicant	2-4
2.	Annexure AA1. Revenue record of village Kachera Varsaavad regarding Pashuchar Land	5-6
3.	Annexure AA/2 Record of khasra no. allotted to Project Proponent in the village Kachera Varsaavad by GDA.	7-28

18.01.2023

Filed by

Applicant


Mahakar Singh

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPLAL BENCH NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 549 OF 2019

IN THE MATTER OF

MAHAKAR SINGH

Applicant

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH

Respondents.

SUBMISSIONS ON BEHALF OF THE APPLICANT AGAINST
THE PROJET PROPONENT

1. That Applicant has already submitted its submissions previously vide email dated 02.11.2022 and the same may be read as part and parcel of the present submissions.
2. That the revenue record of village Kachera Varsawad, Pargana Dadri which is annexed as **Annexure AA/1** shows that khasra no. 74, 120 B, and 595 are entered as "Pashuchar land".
3. It is submitted that land belonging to the same khasra land has been allotted to Project Proponent by the Ghaziabad Development Authority. The allotted land to Project Proponent by the GDA is annexed as **ANNEXURE AA/2**.
4. That the Project Proponent has also been allotted and also encroached upon the various ponds and water bodies prevalent in the villages whose land has been acquired by the Project Proponent.

5. It is important to mention the ratio of Hon'ble Supreme Court in Jagpal Singh v. State of Punjab, JT 2011 (1) SC 617: (2011) 11 SCC 396: AIR 2011 SC 1123 ". This was a case with respect of a Village Pond. In that connection, the Apex Court has made certain observations which are relevant for the present purposes. The Apex Court has deprecated the action of the State Authorities either in allotting the public utility land in favour of a person or in permitting an encroacher to occupy such public utility land. It has relied upon its earlier decision M.I. Builders (P) Ltd. v. Radhey Shyam Sahu, JT 1999 (5) SC 42; where the Supreme Court ordered restoration of a park after demolition of a shopping complex constructed at the cost of over Rs. 100 crores. It has been observed that the principle laid down in the said decision of M.I. Builders (P) Ltd. v. Radhey Shyam Sahu, JT 1999 (5) SC 42: will apply with even greater force in cases of encroachment of village common land.

The Hon'ble Supreme Court held that :

“The present is a case of land recorded as a village pond. This Court in Hinch Lal Tiwari vs. Kamala Devi, AIR 2001 SC 3215 (followed by the Madras High Court in L. Krishnan vs. State of Tamil Nadu, 2005(4) 9 CTC 1 Madras) held that land recorded as a pond must not be allowed to be allotted to anybody for construction of a house or any allied purpose.”


6. It is also submitted that the documents submitted by the Project Proponent regarding fulfilling their Water requirements from so called Naushad Ali are all fake and fabricated and thus be inquired into.

7. It is further submitted that Project Proponent is under illegal occupation of more than the allotted area of land and this fact must be verified by independent inquiry.
8. It is further submitted that the Project Proponent has levelled false allegation against the Applicant that he is black mailer. The correct position is that the Applicant is social worker and public spirited person who works for the benefit of the society as large. The Applicant has been falsely accused by the Project Proponent for illegal felling of trees. The applicant is defending himself in the said FIR which was registered at the instance of the Project Proponent.
9. That the Project Proponent is hell bent upon discouraging the Applicant from pointing out the environment violations and illegal occupation of land by the Project Proponent.

It is thus requested that above submissions be kindly taken into consideration and report be called for occupation and encroachment of the pond and water bodies by the Project Proponent.

It is also prayed from this Hon'ble Tribunal that directions be issued to call upon the revenue entries from last 20 years of all the khasra no. allotted to the Project Proponent.

18.01.2023

Applicant

Mahakar Singh

M.8130880980



BHULEKH
Uttar Pradesh



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : कचैडा वारसाबाद	परगना : (दादरी)	तहसील : दादरी	जनपद : गौतम बुद्ध नगर	फसली वर्ष : 1421-1426	भाग : 1	खाता संख्या : 00638
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी		
श्रेणी : 5-3-ग / कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ ।						
पशुचर भूमि / . / .	74	0.1930	✓			
	120ख	0.7970	✓			
	595	1.8050	✓			
	704	1.2590	✓			
	120/1319	0.0070				
योग	5	4.0610				

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।



Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

संख्या: 1757/आठ-55/2010-12

दिनांक: 23/11/12

- विज्ञप्ति -

शासनादेश संख्या-258/16(1)-1973-राजस्व-1 दिनांक 16-06-1981 एवं शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-280-रा०-1 दिनांक 12-09-1997 का आंशिक परिष्कार करते हुए जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-1 वर्ष 1951) की धारा-117 की उप धारा-6 के द्वारा प्राप्त करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-228/रा०-1-16 (1)-73 दिनांक 07-05-1981 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुए मैं, मृत्युंजय कुमार नारायण, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ संलग्न अनुसूची के शतम्भ-6 व 7 (खसरा संख्या/क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपर्युक्त दिनांक 16-06-1981 के शासनादेश के अनुसार ग्राम सभा में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पत्र पत्र संख्या-1949/डी०एल०आर०सी०/2009-10 दिनांक 25-07-2011 एवं पत्र संख्या-271/डी०एल०आर०सी०/2010-11 दिनांक 24-12-2011 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-258/16 (1)/1973-राजस्व-1 दिनांक 09-05-1984, शासनादेश दिनांक 12-09-1997, दिनांक 21-06-04, दिनांक 30-06-2004, दिनांक 14-09-2004, दिनांक 29-09-2004, दिनांक 06-06-06 एवं दिनांक 06-11-2006 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अनुसूची में अंकित ग्राम सभा भूमि प्रचलित बाजार दर रु० 1100/- प्रति वर्ग मीटर की निर्धारित दर से प्रतिकर एवं पूँजीकृत मूल्य की प्रस्तावित धनराशि जमा किये जाने पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिला-गाजियाबाद के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है।

- अनुसूची -

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुर्नग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
गौतमबुद्धनगर	दादरी	दादरी	तालाबपुर उर्फ हाथीपुर	तालाबपुर उर्फ हाथीपुर	358	0.089	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की हाईटेक सिटी योजना हेतु
					388एग	0.013	
					403/433	0.034	
					योग-	0.136	

आज्ञा से,

YAL 21.4.12
(मृत्युंजय कुमार नारायण)आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन एवं दिनांक लदेव।

प्रतिलिपि-

1. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय प्रेस, उ०प्र०, इलाहाबाद को दो प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति शासकीय गजट में प्रकाशित करते हुए गजट की प्रति इस कार्यालय/जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, अनुभाग-10, लखनऊ को भी भिजवाने का कष्ट करें।
2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को उनके पत्र संख्या-1949/डी०एल०आर०सी०/2009-10 दिनांक 25-07-11 एवं पत्र संख्या-271/डी०एल०आर०सी०/2010-11 दिनांक 24-12-11 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार धनराशि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने के उपरान्त ही भूमि पर कब्जा हस्तान्तरित किया जाये।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संतोष कुमार यादव
उपाध्यक्ष

(अविनाश गौड़)

अपर आयुक्त (प्रशासन),
कृते आयुक्त।

कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

संख्या: 1/आठ-10/2010-12

दिनांक: 15 जनवरी, 2011

— विज्ञापित —

शासनादेश संख्या-258/16(1)-1973-राजस्व-1 दिनांक 16-06-1981 एवं शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-280-रा०-1 दिनांक 12-09-1997 का आंशिक परिष्कार करते हुए जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-1 वर्ष 1951) की धारा-117 की उप धारा-6 के द्वारा प्राप्त करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-228/रा०-1-16 (1)-73 दिनांक 07-05-1981 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, अनुभाग श्रीवास्तव, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ संलग्न अनुसूची के स्तंभ-6 व 7 (खसरा संख्या/क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपर्युक्त दिनांक 16-06-1981 के शासनादेश के अनुसार ग्राम सभा में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या-1244/डी०एल०आर००/2009-10 दिनांक 20-12-2010 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-258/16(1)/1973-राजस्व-1 दिनांक 09-05-1981, शासनादेश दिनांक 12-09-1997, दिनांक 21-06-04, दिनांक 30-06-2004, दिनांक 14-09-2004, दिनांक 29-09-2004, दिनांक 06-06-2006 एवं दिनांक 06-11-2006 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अनुसूची में अंकित ग्राम सभा भूमि वर्तमान बाजार दर रु० 1100/- प्रति वर्ग गीटर की निर्धारित दर से प्रतिकर एवं पूँजीकृत भूम्य की प्रस्तावित धनराशि जमा किये जाने पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है।

— अनुसूची —

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (बीघा में)			विरण प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
						दीपा	रिस्ता	विस्वाती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गौतमबुद्धनगर	दादरी	दादरी	हुजाना	हुजाना	8	0	12	3	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की हाईटेक सिटी गौतमबुद्धनगर
					24	1	16	0	
					88	0	1	0	
					270	0	8	0	
					303/2	0	2	0	
					830	1	5	0	
					403	0	16	0	
					512	4	12	0	
					530	2	7	0	
					533	0	9	0	
					548	0	11	0	
					568	0	6	0	
					569	0	6	0	
					582	0	3	0	
					योग-	8	114	3	

अज्ञा से,

(अनुभाग श्रीवास्तव)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदर्थ।
प्रतिस्तिप्ति-

1. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय प्रेस, उ०प्र०, इलाहाबाद को दो प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापित शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराते हुए राजपत्र की प्रति इस कार्यालय/जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, अनुभाग-10, लखनऊ को भी भिजवाने का कष्ट करें।
2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को उनके पत्र संख्या-1244/डी०एल०आर००/2009-10 दिनांक 20-12-2010 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार धनराशि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरों शीर्षक में जमा कराये जाने के उपरान्त ही उपरोक्त भूमि पर रु० हस्तान्तरित किया जाये।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपस्थित, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अविनाश गौड़)
अपर आयुक्त (प्रशासन),
मेरठ आयुक्त।

730/P23
8-11

19/1/11

19/1/11

19/1/11

19/1/11

19/1/11

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-131/एक-1-2011-5(5)/2011
लखनऊ :: दिनांक 03 मार्च फरवरी, 2011

कृपया नियमावली आरक्षक
कार्यवाही सुनिश्चित करें
श्री गौतम बुद्ध नगर
जिलाधिकारी
गाजियाबाद
71311

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0 474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनांक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/ शर्तों के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनांक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव सभा में निहित की गयी थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद को उपलब्ध कराये जाने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हैं।

अनुसूची

क्र. सं.	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा सं०	क्षेत्रफल			विवरण/प्रयोजन
						बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	
1	गौतम बुद्ध नगर	दादरी	दादरी	दुजाना	48	1	1	0	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को हाईटेक टाउनशिप / इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप योजना विकसित किये जाने हेतु।
					67	0	7	16	
					201	1	13	0	
					264	4	3	0	
					282	1	6	0	
					532	0	13	0	
					537	0	10	0	
					578	0	2	4	
					608	0	9	12	
					718 / 3	0	0	10	
					724 / 3	0	4	10	
					726 / 2	0	3	10	
					846	0	8	0	

कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

संख्या: ~~...~~/आठ-11/2010-12

दिनांक: 12 जनवरी, 2011

- विज्ञापित -

शासनादेश संख्या-258/16(1)-1973-राजस्व-1 दिनांक 16-06-1981 एवं शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-280-रा०-1 दिनांक 12-09-1997 का आंशिक परिस्कार करते हुए जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-1 वर्ष 1951) की धारा-117 की उप धारा-6 के द्वारा प्राप्त करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-228/रा०-1-16 (1)-73 दिनांक 07-05-1981 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुए श्री. अनुराग श्रीवास्तव, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ-6 व 7 (खसरा संख्या/क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि जो अब तक उपर्युक्त दिनांक 16-06-1981 के शासनादेश के अनुसार ग्राम रामा में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता है तथा जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या-1235/डी०एल०आर०सी०/2009-10 दिनांक 15-12-2010 द्वारा श्री आई संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-258/16(1)/1973-राजस्व-1, दिनांक 09-05-1981, शासनादेश दिनांक 12-09-1997, दिनांक 21-06-2004, दिनांक 30-06-2004, दिनांक 14-09-2004, दिनांक 29-09-2004, दिनांक 06-06-2006 एवं दिनांक 06-11-2006 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अनुसूची में अंकित ग्राम संमा भूमि वर्तमान बाजार दर रु० 1100/- प्रति वर्ग मीटर की निर्धारित दर से प्रतिकर एवं पूंजीकृत मूल्य की प्रस्तावित धनराशि जमा किये जाने पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिला-गाजियाबाद के पत्र में हस्तान्तरित की जाती है।

- अनुसूची -

जिला	तहसील	संख्या	ग्राम	ग्राम संमा	खसरा नं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विशेष प्रयोजन जितके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
गौतमबुद्धनगर	बादरी	बादरी	कदवा	बादरी	148	0.122	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की हाईटेक सिटी योजना हेतु
					292	0.162	
					324	0.270	
					820da	0.011	
					921	1.278	
					1090da	0.014	
योग-					1.857		

आज्ञा से,

(अनुराग श्रीवास्तव)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

प्रकांकन एवं दिनांक तिथि:

प्रतिलिपि-

1. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन, सामग्री, राजकीय प्रेस उ०प्र०, इलाहाबाद को दो प्रतियों में इस आशय में भेजित कि उपरोक्त विज्ञापित शासकीय गजट में प्रकाशित कथित हुए गजट की प्रति इस कार्यालय/जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, अनुभाग-10, लेखनक को भी भिजवाने का कष्ट करें।

2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को अपने पत्र संख्या-1235/डी०एल०आर०सी०/2009-10 दिनांक 15-12-2010 के क्रम में इस निर्देश के साथ भेजित कि उपरोक्त अनुसार धनराशि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने पर कृपया मुझे सूचित की भूमि पर कब्जा हस्तान्तरित किया जाये।

3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अविनाश गौड़)
अपर आयुक्त (प्रशासन),
कृते आयुक्त।

					920	0	0	0
					949	1	0	0
					1006	2	0	0
					1026	1	2	3
					1027	0	5	0
					1149	0	5	0
					1151	0	2	10
					1152	0	1	10
					/2			
					1153	0	0	10
					/2			
					1154	0	0	10
					/2			
					योग	11	102	105
						अर्थात् 4.140 है०		
क्र. सं.	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विवरण/प्रयोजन
2	गौतम बुद्ध नगर	दादरी	दादरी	कचैड़ा वारसाबाद	6	0.026		आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को हाईटेक टाउनशिप / इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना विकसित किये जाने हेतु
					7	0.039		
					9	0.013		
					12	0.304		
					13	0.053		
					14	0.025		
					16	0.014		
					19	0.023		
					24	0.036		
					26	0.187		
					32	0.013		
					35	0.005		
					44	0.022		
					45	0.008		
					53	0.043		
					61	0.044		
					65	0.041		
					56	0.016		
					72	0.032		
					74	0.193		
					75	0.122		
					76	0.240		
					79	0.042		
					81	0.026		
					90	0.094		
					91	0.032		

97	0.135
98	0.033
99	0.065
103	0.010
105	0.023
108	0.064
112	0.210
113	0.069
119	0.054
120	0.797 ✓ <i>100%</i>
121	0.047
133	0.013
134	0.045
142	0.037
145	0.031
149	0.057
152	0.023
155	0.037
162	0.259
163	0.020
169	0.118
171	0.020
172	0.037
174	0.009
175	0.026
178	0.023
181	0.013
182	0.020
183	0.053
198	0.099
203	0.009
207	0.025
210	0.105
211	0.061
212	0.021
220	0.038
225	0.168
226	0.007
229	0.018
237	0.032
244	0.045
245	0.087
255	0.014

				256	0.026
				258	0.009
				262	0.687
				264	0.197
				284	0.031
				285	0.070
				290	0.025
				295	0.145
				296	0.077
				302	0.017
				303	0.033
				306	0.086
				307	0.043
				314	0.042
				315	0.077
				326	0.048
				327	0.023
				332	0.036
				333	0.038
				337	0.024
				338	0.012
				342	0.047
				343	0.050
				347	0.044
				348	0.026
				353	0.027
				356	0.016
				361	0.276
				364	0.069
				372	0.024
				374	0.048
				501	0.032
				MC	
				586	0.016
				595	1.805
				610	0.084
				611	0.305
				622	0.103
				623	0.055
				631	0.024
				632	0.051
				641	0.024
					0.064

	648	0.066
	649	0.243
	655	0.041
	661	0.103
	663	0.044
	667	0.087
	679	0.045
	680	0.104
	685	0.033
	689	0.045
	690	0.017
	694	0.017
	695	0.019
	696	0.009
	705	0.509
	706	0.107
	715	0.039
	716	0.091
	734	0.034
	735	0.073
	736	0.039
	740	0.032
	747	0.029
	748	0.070
	758	0.243
	768	0.062
	783	0.155
	797	0.029
	803	0.051
	822	0.274
	828	0.039
	842	0.061
	857	0.039
	858	0.040
	863	0.058
	867	0.187
	870	0.006
	880	0.029
	889	0.099
	897	0.039
	908	0.096
	913	0.020
	914	0.038
	917	0.020

				920	0.033
				929	0.045
				939	0.092
				940	0.007
				945	0.016
				973	0.128
				976	0.205
				990	0.035
				996	0.519
				1005	0.013
				1005	0.007
				1009	0.025
				1010	0.045
				1013	0.034
				1014	0.019
				1019	0.026
				1020	0.017
				1031	0.018
				1035	0.083
				1038	0.012
				1043	0.079
				1048	0.143
				1049	0.039
				1057	0.057
				1058	0.032
				1074	0.034
				1075	0.154
				1076	0.152
				1078	0.004
				1081	0.097
				1083	0.046
				1089	0.065
				1094	0.057
				1095	0.041
				1108	0.049
				1114	0.036
				1117	0.079
				1120	0.094
				1121	0.047
				1122	0.146
				1131	0.016
				1144	0.049
				1145	0.027
				1151	0.180

					1153	0.044	
					1157	0.085	
					1158	0.019	
					1164	0.033	
					1167	0.025	
					1168	0.007	
					1280	0.104	
					1281	0.214	
					1283	0.020	
					1289	0.019	
					1290	0.020	
					1295	0.045	
					1296	0.063	
					1299	0.029	
					1303	0.050	
					1315	0.005	
					1316	0.004	
					120/ 1319	0.007	
					237/ 1321	0.019	
					योग	17.059 हे०	
3	गाजिया -बाद	गाजि- याबाद	डासना	सादिकपुर काजिपुरा	98मि	0.181	
					111 मि	0.037	
					118 मि	0.064	
					119 मि	0.210	
					125	0.028	
					126	0.063	
					131	0.063	
					135 मि	0.015	
					142 मि	0.013	
					योग	0.674 हे०	
4	गाजि या -बाद	गाजि- याबाद	डासना	बयाना	3	0.029	
					8	0.062	
					10	0.089	

sep

sep

					11	0.047	
					13	0.023	
					17	0.023	
					20	0.021	
					मि०		
					21	0.052	
					23	0.010	
					29	0.021	
					32	0.016	
					35	0.023	
					38	0.023	
					40	0.012	
					मि०		
					41	0.019	
					46	0.003	
					मि०		
					47	0.003	
					मि०		
					109	0.768	
					मि०		
					119	0.122	
					120	0.057	
					127	0.013	
					132	0.101	
					133	0.023	
					136	0.026	
					137	0.092	
					141	0.053	
					क		
					143	0.033	
					146	0.022	
					147	0.101	
					148	0.038	
					168	0.033	
					172	0.036	
					173	0.019	
					188	0.054	
					190	0.021	
					मि०		
					193	0.039	
					194	0.011	
					217	0.005	
					मि०		

				218	0.008	
				मि०		
				407	0.003	
				मि०		
				408	0.001	
				मि०		
				409	0.126	
				क		
				415	0.051	
				416	0.013	
				419	0.103	
				420	0.056	
				426	0.018	
				433	0.063	
				439	0.029	
				440	0.014	
				441	0.014	
				442	0.055	
				445	0.043	
				446	0.048	
				466	0.054	
				467	0.007	
				504	0.024	
				506	0.051	
				503	0.089	
				510	0.013	
				511	0.041	
				512	0.003	
				योग	3.070 हे०	
5	गाजि या -बाद	गाजि- याबाद	डासना	नायफल	3मि०	0.026
				11	0.042	
				15	0.025	
				155	0.134	
				मि०		
				156	0.150	
				मि०		
				180	0.055	
				207	0.043	
				मि०		
				223	0.101	
				228	0.006	
				230	0.032	

End

						233	0.030	
						236	0.034	
						237	0.025	
						243	0.047	
						257	0.011	
						306	0.280	
6	गाजि- या -वाद	गाजि- या -वाद	उरगा	यादतगर इकला	या या	306	0.280	0.822 ₹
						761	0.001	
7	गाजि या -वाद	गाजि- या -वाद	उरगा	उरगा	या	761	0.001	0.280 ₹
						762	0.001	
						763	0.303	
						767	0.075	
						772	0.030	
						774	0.026	
						775	0.044	
						783	0.011	
						784	0.004	
						787	0.112	
						799	0.010	
						800	0.021	
						802	0.027	
						803	0.069	
						806	0.002	
						807	0.006	
						811	0.047	
						816	0.027	
						817	0.057	
						820	0.013	
						829	0.101	
						830		
						833	0.031	
						834	0.057	

-11-

841	0.007
ख मि०	
848	0.013
853	0.139
854	0.095
859	0.031
860	0.063
873	0.032
874	0.009
875	0.013
876	0.041
887	0.304
890	0.031
891	0.016
895	0.009
896	0.019
898	0.025
899	0.013
903	0.048
915	0.044
917	0.097
927	1.054
मि०	
930	0.027
974	0.016
मि०	
975	0.028
मि०	
981	0.100
996	0.002
मि०	
997	0.041
1003	0.090
मि०	
2372	0.051
मि०	
2373	0.038
2377	0.002
मि०	
2392	0.013
2393	0.042
मि०	
2398	0.005
मि०	

- 12 -

					2404	0.038	
					2406	0.089	
					2414	0.013	
					2415	0.062	
					2416	0.035	
					2418	0.544	
					2421	0.089	
					2425	0.078	
					मि०		
					2427	0.160	
					मि०		
					2429	0.006	
					2430	0.003	
					2431	0.126	
					2433	0.003	
					2434	0.004	
					2439	0.160	
					2449	0.073	
					मि०		
					2482	0.018	
					ख		
					मि०		
					2487	0.029	
					2488	0.031	
					2495	0.165	
					2496	0.181	
					2497	0.007	
					मि०		
					2498	0.007	
					मि०		
					3157	0.085	
					3158	0.135	
					3182	0.071	
					मि०		
					3183	0.027	
					3184	0.049	
					3191	0.006	
					3192	0.013	
					3197	0.022	
					मि०		
					3198	0.067	
					मि०		
					3205	0.082	

				3208	0.001	
				3209	0.002	
				3213	0.009	
				3217	0.013	
				3218	0.019	
				3221	0.019	
				3222	0.031	
				3229	0.076	
				3236	0.304	
				3238	0.228	
				3260	0.060	
				मि०		
				3262	0.137	
				मि०		
				3284	0.076	
				3315	0.020	
				मि०		
				3318	0.025	
				3373	0.114	
				3383	0.101	
				3385	0.018	
				3394	0.005	
				मि०		
				3396	0.081	
				मि०		
				3402	0.038	
				3408	0.004	
				मि०		
				3423	0.050	
				मि०		
				3430	0.006	
				3433	0.089	
				3449	0.016	
				मि०		
				3487	1.113	
				क		
				मि०		
				3487	0.062	
				ख		
				3501	0.063	
				3503	0.164	
				3504	0.164	
				3507	0.139	
				3508	0.281	
				मि०		

- 14 -

					3509	0.417	
					मि०		
					3510	0.708	
					मि०		
					3728	0.043	
					3733	0.051	
					3736	0.228	
					ख		
					3738	0.215	
					3745	0.019	
					3746	0.069	
					3747	0.020	
					3748	0.061	
					3751	0.076	
					3754	0.096	
					3767	0.029	
					3768	0.101	
					मि०		
					3771	0.240	
					3775	0.089	
					3777	0.063	
					3778	0.028	
					3782	0.021	
					3784	0.023	
					3785	0.050	
					3786	0.051	
					मि०		
					3787	0.013	
					मि०		
					3794	0.041	
					3797	0.007	
					3798	0.016	
					3804	0.010	
					मि०		
					3805	0.005	
					मि०		
					3807	0.022	
					मि०		
					3811	0.291	
					मि०		
					3816	0.051	
					मि०		
					3821	0.004	
					मि०		

			3834 मि०	0.004	
			3837 मि०	0.010	
			3843 मि०	0.023	
			3844	0.316	
			3847 मि०	0.025	
			3849	0.089	
			3850	0.177	
			3855	0.063	
			3861	0.038	
			3863	0.013	
			3864	0.025	
			3868	0.013	
			3869 मि०	0.003	
			3875	0.038	
			3877	0.051	
			3881	0.063	
			3889	0.341	
			3893 क मि०	0.013	
			3899	0.039	
			3924	0.061	
			3925	0.074	
			3928	0.051	
			3931	0.025	
			3938	0.329	
			3939 क	0.136	
			3944	0.240	
			3945 मि०	0.013	
			3946 मि०	0.012	
			3953	0.341	
			3959	0.084	
			3968	0.076	
			3973	0.240	
			3980	0.067	
			3981	0.044	

HP/...

- 16 -

					3983	0.013	
					3993	0.076	
					रु		
					3995	0.085	
					3996	0.051	
					4009	0.057	
					4010	0.026	
					4019	0.075	
					4020	0.029	
					4024	0.173	
					4025	0.073	
					4030	0.025	
					4032	0.039	
					4033	0.067	
					4036	0.069	
					4047	0.013	
					4048	0.126	
					4050	0.292	
					4053	0.020	
					4054	0.043	
					4056	0.033	
					4057	0.031	
					4052	0.022	
					4063	0.010	
					4068	0.015	
					4072	0.025	
					4073	0.013	
					4084	0.188	
					4085	0.044	
					4089	0.061	
					4093	0.013	
					4099	0.006	
					4105	0.012	
					मि		
					4105	0.012	
					मि		
					4107	0.063	
					4108	0.506	
					4115	0.102	
					4116	0.058	
					4113	0.016	
					4123	0.038	
					4124	0.069	
					4129	0.017	

				4130	0.053
				4146	0.341
				4160	0.025
				4182	0.038
				4134	0.215
				4187	0.013
				4191	0.060
				4193	0.039
				4194	0.086
				4197	0.032
				4200	0.047
				4202	0.003
				मि०	
				4206	0.031
				मि०	
				4207	0.019
				4212	0.021
				4213	0.022
				3789	0.038
				/	
				4399	
				ख	
				योग	20.291
गाजि- याबाद	गाजि- याबाद	डासना	शाहपुर बम्हैटा	1686	0.253
				1690	0.025
				1742	0.202
				1771	0.025
				मि०	
				योग	0.505
				1759	1.708
				/2	
				1760	0.481
				1771	0.051
				1926	0.051
				मि०	
				1938	0.101
				1939	0.126
				1942	0.152
				1984	0.089
				1747	0.017
				/4	
				1756	0.013
				/2	

U.C.A.V.

A.Y.V.

			1757	0.014	
			/4		
			2029	0.013	
			/2		
			2028	0.004	
			/7		
			2028	0.005	
			/10		
			2029	0.024	
			/4		
			2032	0.0171	
			/4		
			2033	0.013	
			/2		
			2040	0.014	
			/3		
			2041	0.0171	
			/2		
			योग	2.905	
			महा	49.746 टो	
			योग		

आज्ञा से,
(Signature)
 (कोयकोसिहा) प्रमुख सचिव।

संख्या-131(1)/एक-1-2011-5(5)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को उनके पत्र संख्या-1242/डी0एल0आर0सी0/2009-2010, दिनांक 20.12.2010 एवं पत्र संख्या-1243/डी0एल0आर0सी0/2009-2010, दिनांक 20.12.2010 के संदर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचनापट्ट पर, तहसील भवन तथा संबंधित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चरपा कराये तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चरपा होने की लिपि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

- ✓ 2. प्रतिलिपि जिलाधिकारी गाजियाबाद को उनके पत्र संख्या-1194/डी0एल0आर0सी0/2009-2010, दिनांक 27.12.2010, पत्र संख्या-1195/डी0एल0आर0सी0/2009-2010, दिनांक 27.12.2010, पत्र संख्या-1196/डी0एल0आर0सी0/2009-2010, दिनांक 27.12.2010, पत्र संख्या-1197/डी0एल0आर0सी0/2009-2010, दिनांक 27.12.2010, पत्र संख्या-1198/डी0एल0आर0सी0/2009-2010, दिनांक 27.12.2010, पत्र संख्या-1199/डी0एल0आर0सी0/2009-2010, दिनांक 27.12.2010, पत्र संख्या-2000/डी0एल0आर0सी0/2009-2010, दिनांक 27.12.2010 के संदर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचनापट्ट पर, तहसील भवन तथा संबंधित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर

कराया तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के क्रम में होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आस्था राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. यह भी अपेक्षित है कि उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव में ग्राम सभा की ऐसी सार्वजनिक उपयोग की भूमियाँ जिनके विनियम की आवश्यकता हो, उनके संबंध में राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-963/एक-1-2004-1-1(10)/2002-15-रा0-1, दिनांक 30.6.2004 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4. यह भी अपेक्षित है कि राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-258/16(1)-73-रा-1, दिनांक 9 मई, 1984 के अनुसार पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि कुल रकबा 49.746 हे० का वर्तमान प्रचलित बाजार दर पर आंकलित मूल्य तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा-1 दिनांक 14-9-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूँजीकृत मूल्य की धनराशि लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ०प्र० शासन तथा राजस्व विभाग उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वांछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात ही भूमि का कब्जा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को दिया जाय। प्रश्नगत भूमि आवारा एवं शहरी नियोजन विभाग उ०प्र० शासन के निर्वर्तन पर रखी जायेगी।

जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र०सा० 474/एक-1-2008-5-1(48)/2008-78, दिनांक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाएगा तथा निर्धारित प्रारूप पर यथानिर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध करायी जाए।

आज्ञा से,
(Signature)
(भवेश रंजन)
अनु सचिव।

संख्या-131(ए)/एक-1-2011-5(5)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ०प्र० शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 4- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
- 5- गाड बुक।

आज्ञा से,
(Signature)
(भवेश रंजन)
अनु सचिव।